

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहरस्तावर जज
<p>23-03-24</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> <p>23/01/24</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय लघुहरस्तावर जज</p> <p>दिनांक 31/2017</p> <p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वक्ति जाद्वी</p> <p>पीठासीन अधिकारी 08-10-24 को पेश हो।</p> <p>32</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला-नीमकाथाना</p>
<p>08-10-24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15-10-24 को पेश हो।</p> <p>32</p>
<p>15.10.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिती में वादपत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>32</p> <p>( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p> 